POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/ प्रेस विज्ञप्ति – दिनाकं 01.07.2024

1. SWAT टीम व थाना सूरजपुर पुलिस टीम द्वारा संयुक्त प्रयास से फर्जी कूटरचित दस्तावेज तैयार कर अभियुक्तो को जमानत दिलाने वाले 05 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से भारी संख्या में फर्जी आधार कार्ड, कूटरचित खतौनी, भिन्न-भिन्न तहसील व थानों की स्टैम्प मोहर व इस्तेमाल किये गये जमानत प्रार्थना पत्र व अपराध में शामिल एक कार बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **01.07.2024** को SWAT टीम व थाना सूरजपुर पुलिस टीम के संयुक्त प्रयास से थाना सूरजपुर क्षेत्र के मौजरबीयर सर्विस रोड़ से कोर्ट की तरफ जाने वाले रास्ते पर से 05 अभियुक्त 1.वरुण शर्मा पुत्र विनोद कुमार 2.एजाज पुत्र नजीर 3.इस्माईल पुत्र सद्दन 4.बीरबल पुत्र ओमप्रकाश 5.नरेशचन्द उर्फ नरेशन पुत्र कल्यान सिंह को **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से जमानत शपथ पत्र (कूटरचित छायाप्रति कुल 16 वर्क), आदेश जमानत उच्च न्यायालय इलाहाबाद, 01 वकालतनामा अधिवक्ता, रिपोर्ट तहसील तस्दीक सम्पत्ति जामीनान, 01 बेल बांड, शपथ पत्र जामिनान इस्माईल, जमानत शपथ पत्र तैमूर, खतौनी ग्राम अहेड़ा बागपत, 09 फर्जी आधारकार्ड, 01 बेलबांड सौरभ अ0सं0 268/2024 धारा 60/63 सेक्टर-24 नोएडा, 25 स्टैम्प मोहरे, खाली स्टाम्प 10 रुपये (16 वर्क), बेलबांड खाली (10 वर्क), शपथ पत्र जमानती खाली (20 वर्क), 02 स्टैम्प पैड़, खतौनी कुल (18 वर्क) व 15 ब्लैंक ए-फोर साईज, 03 मोबाइल फोन व अपराध में प्रयुक्त 01 कार सैट्रो हुंडई रजिस्ट्रेशन नम्बर डीएल 7 सीएल 1958 आदि बरामद किये गये है।

अभियुक्तों द्वारा उक्त कूटरचित दस्तावेजो, फर्जी आधार कार्ड, स्टैम्प मोहर आदि के इस्तेमाल से पूर्व में जनपद में कई अभियुक्तो की जमानत लाभ दिला चुके है अभियुक्तों के विरूद्ध थाना सूरजपुर पर मु0अ0सं0 359/2024 अन्तर्गत धारा 318(4), 338,336(3),340(2),3(5) भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है।

अभियुक्तों का विवरण--

1. वरुण शर्मा पुत्र विनोद कुमार निवासी कृष्णानगर देवीपुरा द्वितीय थाना कोतवालीनगर, जनपद बुलन्दशहर उम्र 29 वर्ष।
2. एजाज पुत्र नजीर निवासी विश्वम्बरपुर थाना तरयाना जिला शिवहर, बिहार वर्तमान निवासी रामप्रकाश का किराये का मकान, तहसील के पीछे दादरी, थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर उम्र 25 वर्ष।
3. इस्माईल पुत्र सद्दन निवासी घनश्याम रोड़ खाराकुआँ कस्बा व थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर उम्र 50 वर्ष।
4. बीरबल पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम मरौनी थाना सलेमपुर, जनपद बुलन्दशहर उम्र लगभग 47 वर्ष।
5. नरेशचन्द उर्फ नरेशन पुत्र कल्यान सिंह निवासी ग्राम बिबियाना, थाना अहमदगढ़, जनपद बुलन्दशहर उम्र 48 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0 359/2024 धारा 318(4),338,336(3),340(2),3(5) भारतीय न्याय संहिता 2023 थाना सूरजपुर, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. जमानत शपथ पत्र (कूटरचित छायाप्रति कुल 16 वर्क)
2. एक शपथ पत्र
3. 01 आधारकार्ड
4. आदेश जमानत उच्च न्यायालय इलाहाबाद
5. 01 वकालतनामा अधिवक्ता
6. रिपोर्ट तहसील तस्दीक सम्पत्ति जामीनान
7. रिपोर्ट थाना बिनौली बाबत तस्दीक जामिनान
8. 01 बेल बांड सम्बन्धित मु0अ0सं0 435/2023 उपरोक्त जामिनान 02 नफर इस्माईल व तैमूर, न्यायालय ए.सी.जे.(एस.डी.-2)/ए.सी.जे.एम. गौतमबुद्धनगर दिनांक 21.06.2024 शपथ पत्र जामिनान इस्माईल, जमानत शपथ पत्र तैमूर, खतौनी ग्राम क्रमांक 220620 ग्राम अहेड़ा बागपत।
9. 09 फर्जी आधारकार्ड
10. 01 बेलबांड सौरभ अ0सं0 268/2024 धारा 60/63 सेक्टर-24, नोएडा।
11. स्टैम्प मोहरे 25 फर्जी
12. खाली स्टाम्प 10 रुपये (16 वर्क)
13. बेलबांड खाली (10 वर्क)
14. शपथ पत्र जमानती खाली (20 वर्क)
15. 02 स्टैम्प पैड़

16. खतौनी कुल (18 वर्क)
17. 15 ब्लैंक ए-फोर साईज
18. 03 मोबाइल फोन
19. 01 अपराध में प्रयुक्त कार सैट्रो हुंडई रजि0 डीएल 7 सीएल 1958

2.थाना दादरी पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण--दिनांक **27.02.2024** को वादी द्वारा थाना दादरी पर तहरीर देकर अज्ञात अभियुक्तों द्वारा वादी के पुत्र यश मित्तल का अपहृण कर लेने तथा वादी के पुत्र की एवज में 6 करोड़ रूपये की मांग करने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 0085/2024 धारा 364ए भादवि पंजीकृत कराया गया था। उपरोक्त अभियोग के सफल अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया था।

कार्यवाही का विवरण--अभियुक्तों द्वारा अपहृत यश मित्तल की हत्या कर दी गयी थी। मुकदमा उपरोक्त मे विवेचनात्मक कार्यवाही के आधार पर धारा 302/201/120बी भादवि की वृद्धि की गयी थी। थाना दादरी पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए दिनांक **01.07.2024** को मुकदमा उपरोक्त मे वांछित अभियुक्त शशिकान्त पाल पुत्र दयानन्द पाल को आरवी नार्थलैण्ड बाईपास सीएनजी पम्प के पास से **गिरफ्तार** किया गया है। थाना दादरी पुलिस द्वारा पूर्व में 05 अभियुक्तों (03 को पुलिस मुठभेड़ के दौरान) को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

अभियुक्त का विवरण--

1. शशिकान्त पाल पुत्र दयानन्द पाल निवासी रेलवे फ्लाईओवर के पास, पाल एजेन्सी मौहल्ला लक्ष्मीनगर, थाना गजरौला, जनपद अमरोहा उम्र 27 वर्ष।

आपराधिक इतिहास का विवरण--

1. मु0अ0सं0 0085/2024 धारा 364ए/302/201/120बी भादवि थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर।

3. थाना सेक्टर-24 नोएडा पुलिस द्वारा एक्सीडेन्ट करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त गाड़ी (टाटा ऐस) बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण--दिनांक 29/06/2024 को वादी द्वारा थाना सेक्टर-24 पर प्रार्थना पत्र देकर सूचना दी गई कि उनका पुत्र उम्र 2 वर्ष को दुकान पर सामान लेने जाते समय गाड़ी (टाटा ऐस) के अज्ञात चालक द्वारा तेजी और लापरवाही से गाड़ी चलाकर जोरदार टक्कर मारकर घायल कर दिया गया जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी। उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में थाना सेक्टर-24 पर मु0अ0सं0 276/2024 धारा 279/304(ए) भादवि पंजीकृत हुआ था। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया था, जिसके द्वारा आस-पास के सभी सीसीटीवी कैमरे चेक करते हुए घटना कारित करने वाले वाहन को चिन्हित किया गया।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **01/07/2024** को थाना सेक्टर-24 नोएडा पुलिस टीम द्वारा गोपनीय सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुए वांछित अभियुक्त कल्याण सिंह पुत्र रछपाल सिंह को दिल्ली जाते हुए ईस्कान मन्दिर के पास से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त गाड़ी (टाटा ऐस) रजि0 सं0 डीएल 1 एल.ए.बी 5863 बरामद किया गया है।

अभियुक्त का विवरण--

1. कल्याण सिंह पुत्र रछपाल सिंह निवासी ग्राम नंगला धीर, थाना नारखीर, जिला फिऱोजाबाद उम्र करीब 27 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0 276/2024 धारा 304(ए)/279 भादवि थाना सेक्टर-24, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. घटना में प्रयुक्त गाड़ी (टाटा ऐस) रजि0 सं0 डीएल 1 एल.ए.बी 5863